न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 79 / 2017
प्रविष्टि दिनांक — 24.07.2017

नजर मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लवादर तहसील व जिला टोंक राज0
—अपीलांट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला—टोक
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 09.02.2017 मिसल नम्बर 1185 / 2017

उपस्थिति : (1) श्री तेजमल जैन,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 14.08.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1318 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी—3 वाके ग्राम लवादर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 263 / रू. पेनल्टी कायम कर,फसल जब्त कर नीलामी कि कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 1318 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1317 के अडवा होने से गत कई वर्षो से अपीलांट के पूर्वजो के समय से उनकी खातेदारी की भूमि मे मिलकर एक चक बना हुआ है,जिसे वर्तमान मे अपीलांट व इससे पूर्व अपीलांट के पिता व दादा काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि उन्ही के कब्जे काश्त मे रही है। खसरा नम्बर 1317 व 1318 साबिक खसरा नम्बर 451 से बना है जो काफी बडा नम्बर है।उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 450 व 451 थे,उक्त भूमि खसरा नम्बर 450 की 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 451 की 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि है। इस प्रकार कुल 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि तथा खसरा नम्बर 1317 मे मौके पर मिली हुई। खसरा परिर्वतन शील सम्वंत 2073 मे भी उक्त भूमि का रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ही अंकित है,परन्तु पटवारी ने सम्वंत 2073 मे सरसो की फसल काश्त का रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ही अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1318 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम लवादर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त करने पर नायब तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने तथा फसल नीलामी का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1318 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम लवादर तहसील टोंक पर अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त की है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.02.2017 की पालना मे पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 23.02.2017 को ग्राम लवादर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1318 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को मौके पर रूबरू मोतबिरान पहुंचकर उक्त आराजी मे अतिक्रमी नजर मोहम्मद पुत्र वली मोहम्म्द जाति मुसलमान साकिन लवादर द्वारा अनाधिकृत रूप से काश्त की गई सरसो की फसल को कुर्की सरकार कर मौके पर अन्तिम बोलीदार घनश्याम नाई को 1250 रूपये मे नीलाम की गई,जिसे नायब तहसीलदार टोंक ने स्वीकृत किया है और दिनांक 23.02.2017 को ही दो स्वंतत्र गवाहो की उपस्थिति मे मौके से वास्तविक रूप से पटवारी हल्का एंव भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमी (अपीलांट) को बेदखल किया जाकर भूमि कब्जा सरकार ली गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 09.02.2017 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक